मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

ब्लाक–1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(मुख्य कार्यालय –59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल)

क्रमांक/7596/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक: 7/09/2013

प्रति,

1. **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
   जिला–समस्त, मध्यप्रदेश
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
   जिला – समस्त मध्यप्रदेश

विषयः **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य प्रस्तावित निर्मल ग्रामों में महात्मा गांधी नरेगा एवं निर्मल भारत अभियान (NBA) के अभिसरण से संपादित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश।**

––0––

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बहुसंख्यक आबादी के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाने, पर्यावरण को संदूषित होने से रोकने के लिये ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है। महात्मा गांधी नरेगा की नवीन मार्गदर्शिका 2013 के बिन्दु क्र. 7.1.3 (xv) में ठोस व तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन का कार्य अनुमत है। निर्मल भारत अभियान की गाइड लाईन अप्रैल 2013 के बिन्दु (झ) 5.9.1 व 5.9.2 में भी यह कार्य अनुमत है। अतएव राज्य शासन द्वारा दोनों कार्यक्रमों के अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्र के निर्मल ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य लिये जाने की कार्य योजना तैयार कर उसके कियान्वयन हेतु संयुक्त रूप से निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है :

1. **कार्यक्षेत्र** : ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य प्रदेश के सभी जिलों के निर्मल ग्राम एवं प्रस्तावित निर्मल ग्रामों में लिया जा सकेगा।
2. a. **निर्मल भारत अभियान (NBA) के तहत राशि व्यय का प्रावधान** :
   I. 150 परिवारों वाले ग्रामों हेतु – रू 7 लाख
   II. 300 परिवारों वाले ग्रामों हेतु – रू 12 लाख
   III. 500 परिवारों वाले ग्रामों हेतु – रू 15 लाख

   b. **महात्मा गांधी नरेगा के तहत राशि व्यय का प्रावधान** : 1000 लोगों की जनसंख्या के लिये परियोजना/कार्य की लागत 5 लाख है, ग्राम की अधिक जनसंख्या होने पर उसी अनुपात में अधिक राशि के कार्य भी लिये जा सकेगें।

3. कार्य के घटक :

3.1 निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा से अभिसरण :–

a. **ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन के लिये :**

I. कचरे के संग्रहण परिवहन कचरे में से कार्बनिक एवं अकार्बनिक तथा प्लास्टिक, कांच लोहे आदि को पृथ्क्करण करना, जैविक पदार्थों को कम्पोस्ट पिट में डालना।

II. **कम्पोस्ट पिट का निर्माण** (6.0X6.0X2.0मी.) प्रत्येक गाँव में कम से कम 03 गढ्डे बनाया जाना अनिवार्य है गढडों की संख्या ठोस अपशिष्ट की गणना अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।

III. **वर्मी कमपोस्ट** के गढ्डों का निमार्ण आवश्यकता अनुसार किया जावे।

IV. **शेड निर्माण** कचरे में से कार्बनिक एवं अकार्बनिक तथा प्लास्टिक, कांच लोहे आदि को पृथ्क्करण करना, जैविक पदार्थों को कम्पोस्ट पिट में डालना।

b. **तरल अपशिष्टों का प्रबंधन :**

I. कम लागत की नालियों का निर्माण ग्रेवाटर एवं ब्लेक वाटर हेतु नाली एवं सीवेज चैनल/गढ्डा का निर्माण।

II. सोखते गढ्डे का निर्माण।

III. अपशिष्ट जल का पुनः इस्तेमाल और संग्रहण प्रणाली।

IV. Oxidation Pond

3.2 निर्मल भारत अभियान :

a. **ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु वित्त व्यवस्था एवं प्रबंधन के कार्य :**

I **ठोस अपशिष्ट पदार्थों** का घर में परिवार द्वारा डस्टबिन में एकत्रीकरण, सफाईकर्मी द्वारा घर–घर जाकर ट्रायस्किल के माध्यम से कचरे का संग्रहण करना एवं परिवहन करना, शेड में पृथ्क्करण करना एवं जैविक पदार्थों को खाद तैयार बाबद् कम्पोस्ट पिट में डालना।

II घरेलु कचरा को अलग करना तथा उसका निपटान करना।

III कचरे की छटाई/पृथ्क्करण के कार्य।

IV घरों/दुकानों/स्कूल/आंगनबाडी में कचरे हेतु डस्टबीन व्यवस्था 01 जैविक पदार्थ 01 अजैविक पदार्थ (प्रत्येक घर में 2)।

V कचरा कलेक्शन हेतु ट्रायसायकल की व्यवस्था।

b. **डस्टबिन, ट्रायसायकल, फावडे, तगाड़ी, झाड़ू, सफाईकर्मियों की यूनिफार्म, लांग शू, हेण्ड ग्लब्स, प्लास्टिक के 04 ड्रम, जल्दी खाद तैयार हो बायोइनाकुलांट 05 किट (लगभग 2500/–) दवा आदि का व्यय निर्मल भारत अभियान द्वारा प्रथमवार की जा सकेगी तत्पश्चात् आगामी अवधि में पंचायत निधि से उपरोक्त व्यवस्था ग्राम पंचायत को करनी होगी।**

3.3 सफाई हेतु निरन्तर वित्त व्यवस्था :–

I शाला शौचालय/आंगनबाड़ी शौचालय/पंचायत के सार्वजनिक स्थल नालियों की सफाई हेतु

II घर–घर से कचरा एकत्रीकरण करने/छटाई कार्य करने खाद तैयार करने आदि पर सफाईकर्मी/कामगार के नियमित पारिश्रमिक भुगतान व्यवस्था बावद् पंचायत में उपलब्ध **पंच–परमेश्वर में प्रावधानित राशि एवं पंचायत द्वारा सफाईकर, खाद विक्रय आदि से प्राप्त राशि से भुगतान किया जावेगा।**

4. डीपीआर तैयार करना : ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्रामवार डीपीआर बनवाया जावे, चिन्हित निर्मल ग्राम अथवा प्रस्तावित निर्मल ग्राम में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजना तैयार करने के लिये पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक व उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा ट्रांजिट वाक की जावेगी। ग्राम का मेप तैयार किया जावेगा एवं ड्रांइग डिजाइन तैयार कर प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। डीपीआर में परियोजना कियान्वयन एवं कियान्वयन उपरांत परियोजना का संचालन व रखरखाव का स्पष्ट प्रावधान अनिवार्यतः किया जावे।

5. कंटिजेंसी : कार्य लागत का एक प्रतिशत राशि का प्रावधान रहेगा जिसमें डीपीआर तैयार करना, कार्यस्थल **सूचनाफलक** पर निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के संयुक्त योजना का नाम का उल्लेख कार्य की लागत किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख उनकी लंबाई चौडाई एवं कार्य प्रारंभ के पहले का एक फोटो, कार्य के मध्य का फोटो तथा कार्य पूर्ण होने के बाद का एक फोटो स्टेशनरी आदि का व्यय भी इसी से किया जावेगा।

6. परियोजना की स्वीकृति : डीपीआर के आधार पर मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान मद से संपादित होने वाले घटकों की एक्जाई तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री, ग्रायांसे द्वारा जारी की जावेगी। तकनीकी स्वीकृति में मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान मद से व्यय की जाने वाली राशि का निम्नानुसार उल्लेख किया जावेगा :

(राशि रू लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	अनुमत श्रेणी	मनरेगा मद				अभिसरण केवल सामग्री		कार्य की कुल लागत
			कुल राशि (कालम क. 5 + 6 + 7)	अकुशल श्रम	अर्द्ध कुशल/ कुशल श्रम	सामग्री	NBA	अन्य मद	(कालम क. 4 + 8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी। कार्य की क्रियान्वयन एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत को बनाया जावेगा।

निर्मल भारत अभियान के दिशानिर्देशानुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुमोदन राज्य कार्यकारिणी समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता समिति से ली जाना आवश्यक होगा।

7. a. महात्मा गांधी नरेगा मद से कार्यो के संपादन हेतु विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. 1779/NR-2/MGNREGS-MP/2013 दि 20.02.2013 में दिये गये प्रावधानों व ईएफएमएस प्रणाली का पालन करते हुये मजदूरी एवं सामग्री मद में व्यय होने वाली राशि का भुगतान एफटीओ के माध्यम से जनपद पंचायत स्तर से किया जावेगा।

b. निर्मल भारत अभियान मद से संपादित किये जाने वाले कार्यो के घटकों का भुगतान राज्य/जिला स्तर से जारी दिशानिर्देशानुसार किया जा सकेगा।

8. कार्य की पूर्ण करने की अवधि : पूर्व से घोषित निर्मल ग्राम अथवा प्रस्तावित निर्मल ग्राम का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाकर डीपीआर तैयार कराये जाने का कार्य 15 दिवस में पूर्ण किया जावे।

डीपीआर के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि सामान्यतः तीन माह रहेगी एवं प्रयास किया जावे कि किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण हो जावे।

9. गुणवत्ता एवं मानीटरिंग :

परियोजना की गुणवत्ता – कार्य की क्रियान्वयन एजेन्सी ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री, सहायक यंत्री व कार्यक्रम अधिकारी परियोजना की गुणवत्ता के लिये उत्तरदायी माने जावेगे। परियोजना के क्रियान्वयन उपरांत संचालन के दायित्व के निर्वहन का कार्य ग्राम पंचायत का रहेगा। स्व–सहायता समूह गठित कर उन्हें यह दायित्व सौपा जावे। स्व–सहायता समूह के गठन होने पर स्थानीय सफाईकमी अथवा आऊट सोंस के माध्यम से ग्राम पंचायत कार्य करावे।

मानीटरिंग a. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता सतत् मानीटरिंग पर निर्भर रहेगी। अतएव परियोजना प्रारंभ अर्थात् ले–आउट के समय उपयंत्री के अलावा सहायक यंत्री व कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहेगें एवं कार्य की ड्रांइग–डिजाइन अनुसार ले–आउट दिलाया जाना सुनिश्चित करेगें।

b. सहायक यंत्री व कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक 15 दिवस में कार्य का निरीक्षण करेगें।

c. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत व कार्यपालन यंत्री, ग्रायांसे माह में कम से कम एक बार कार्य का निरीक्षण करेगें एवं जिला कलेक्टर को कार्य की भौतिक प्रगति से अवगत करावेगें।

उपरोक्तानुसार दोनों कार्यक्रमों के अभिसरण से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य संपादित कराये जाने का अनुरोध है।

(हेमवती वर्मन)
राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
विकास आयुक्त कार्यालय

(डॉ रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

पृ. क्रमांक/7597/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांकः 7/09/2013

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभाग आयुक्त, संभाग–समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल